



2026:AHC: 175002

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 788 वर्ष 2026

लावण्या (अवयस्क) और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अखंड प्रताप त्रिपाठी, विकास तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

आदेश दिनांक 05.08.2026 के माध्यम से, राज्य को बंदी (कार्पस), लावण्या को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में, पुलिस थाना वृंदावन, जिला मथुरा के उप-निरीक्षक श्री नेमपाल सिंह और महिला कांस्टेबल सुश्री नेहा द्वारा बंदी (कार्पस) को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इस न्यायालय ने बंदी (कार्पस), लावण्या से व्यक्तिगत रूप से बातचीत किया। बातचीत के दौरान, उसने खुलासा किया कि उसकी आयु लगभग 10 वर्ष है और वह मथुरा के एक स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ रही है। उसने आगे कहा कि वह वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 4, पूनम गोस्वामी, जो उसकी बड़ी बहन है, के साथ रह रही है, और वह उसकी संगति में सहज और खुश है। उसने स्पष्ट रूप से अपने माता-पिता के साथ रहने की अपनी अनिच्छा व्यक्त किया, और कहा कि वे अक्सर एक-दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं और अक्सर परिवार में एक अप्रिय और अशांत वातावरण उत्पन्न करते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता, शिव कुमार गोस्वामी और श्रीमती संतोष गोस्वामी से भी बातचीत किया, जो बंदी (कार्पस) के माता-पिता हैं। उन्होंने अपनी पुत्री, पूनम गोस्वामी द्वारा उनके विरुद्ध किए गए अभिकथन से इनकार किया और अवयस्क बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा के लिए अपना दावा दृढ़ता से प्रस्तुत किया। हालांकि, अवयस्क बच्ची के साथ बातचीत से यह स्पष्ट है कि वह वर्तमान में अपने माता-पिता के साथ रहने की इच्छुक नहीं है और अपनी बड़ी बहन की संगति और देखभाल में भावनात्मक रूप से अधिक सहज है।

न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 4, पूनम गोस्वामी से भी बातचीत किया। उसने खुलासा किया कि वह सांदीपनि मुनि स्कूल, वृंदावन में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत है और लगभग 10,000/- रुपये प्रति माह कमाती है। उसने आगे कहा कि वह एक छोटे व्यवसाय में भी लगी हुई है और वर्तमान में बंदी (कार्पस) की देखभाल कर रही है, जो उसकी छोटी बहन है। उसने कहा कि उनके माता-पिता के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं और वे अक्सर एक-दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप माता-पिता के घर में अप्रिय और अशांत वातावरण उत्पन्न होता है। उसके अनुसार, ऐसा वातावरण अवयस्क बंदी (कार्पस) के स्वस्थ विकास और समग्र विकास के लिए अनुकूल नहीं है। उसने आगे कहा कि, इसी कारण से, वह और बंदी (कार्पस) वर्तमान में अपने माता-पिता से अलग रह रहे हैं।

पक्षकारों के बयानों और विशेष रूप से अवयस्क बंदी (कार्पस) के साथ इस न्यायालय की बातचीत पर विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि वर्तमान में, बंदी (कार्पस) अपने माता-पिता के साथ संतोषजनक स्तर का भावनात्मक आराम या जुड़ाव साझा नहीं करती है। उसने अपनी बड़ी बहन, पूनम गोस्वामी के साथ ही रहने की अपनी स्पष्ट प्राथमिकता व्यक्त किया है, जिसके साथ वह सहज और सुरक्षित प्रतीत होती है। बंदी (कार्पस) द्वारा अपने माता-पिता के बीच अक्सर होने वाले झगड़ों और उसके परिणामस्वरूप माता-पिता के घर में अशांत वातावरण के संबंध में किए गए अभिकथन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब इसका अवयस्क बच्ची की भावनात्मक भलाई और समग्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता प्रतीत होता है।

इसके साथ ही, यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति सचेत है कि अवयस्क बच्ची के साथ बातचीत, यद्यपि प्रासंगिक है, लेकिन अपने आप में स्थायी अभिरक्षा के प्रश्न का निर्धारक नहीं मानी जा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सकती है। किसी अवयस्क की अभिरक्षा से संबंधित सभी मामलों में सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित है, न कि किसी विशेष व्यक्ति का विधिक अधिकार या दावा।

वर्तमान वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह न्यायालय संतुष्ट है कि इस प्रक्रम पर, अवयस्क बंदी (कार्पस) की मौजूदा व्यवस्था को बाधित करना और उसकी व्यक्त इच्छाओं के विरुद्ध उसकी अभिरक्षा उसके माता-पिता को सौंपना उसके कल्याण और भावनात्मक भलाई के लिए अनुकूल नहीं होगा। प्रत्यर्थी संख्या 4, पूनम गोस्वामी, एक शिक्षित महिला है, एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत है और बंदी (कार्पस) की देखभाल कर रही है। वह अवयस्क को एक स्थिर, सुरक्षित और पोषण का वातावरण प्रदान करने की स्थिति में प्रतीत होती है। तदनुसार, बच्चे के सर्वोपरि हित और कल्याण में, यह न्यायालय उचित समझता है कि बंदी (कार्पस) को वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 4, पूनम गोस्वामी की देखभाल और अभिरक्षा में ही रहना चाहिए।

हालांकि, अपनी बड़ी बहन के पास बंदी (कार्पस) की निरंतर अभिरक्षा के परिणामस्वरूप उसके माता-पिता के साथ उसके भावनात्मक और पारिवारिक संबंध समाप्त नहीं होने चाहिए। इसलिए, बंदी (कार्पस) और उसके माता-पिता के बीच नियमित संपर्क को सुविधाजनक बनाना आवश्यक माना जाता है ताकि उनके माता-पिता के बंधन को संरक्षित और मजबूत किया जा सके।

तदनुसार, बंदी (कार्पस) के माता-पिता मुलाकात के अधिकारों के हकदार होंगे। वे प्रत्यर्थी संख्या 4, पूनम गोस्वामी को पूर्व सूचना देने के पश्चात उसके निवास पर बंदी (कार्पस) से मिलने जा सकते हैं, और प्रत्यर्थी संख्या 4 ऐसी मुलाकात में कोई अनावश्यक बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। बंदी (कार्पस) की इच्छा और सुविधा के अधीन, माता-पिता को प्रतिदिन शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत करने की भी अनुमति दी जाएगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी मुलाकात और आभासी बातचीत अवयस्क की भावनात्मक भलाई के लिए अनुकूल तरीके से की जाएगी और किसी भी पक्ष द्वारा बच्चे को प्रभावित करने, डराने या उस पर दबाव बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



राज्य प्राधिकारी और संबंधित पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पूर्वोक्त मुलाकात के अधिकारों को शांतिपूर्ण ढंग से सुगम बनाया जाए और किसी भी पक्ष द्वारा कोई अनावश्यक हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न न की जाए।

पूर्वोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

19 अगस्त, 2026

हिमांशु

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”